न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
03/23	एफएसएस एक्ट, 2006	21/12/2023

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर
–आवेदक

बनाम

1. मुकेश कुमार मंगल पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता उम्र 49 वर्ष जाति महाजन निवासी बाटोदा गंगापुर सिटी (मौके र विकेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स मुकेश मिष्ठान भण्डार बस स्टेण्ड बाटोदा तह0 गंगापुर सिटी।
–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांकः– 25.07.2025

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अर्न्तगत दिनांक 05.03.2023 को 02:00 पी.एम पर मैसर्स मुकेश मिष्ठान भण्डार, बस स्टेण्ड बाटोदा गंगापुर सिटी पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विकेता से स्वयं के आधार कार्ड , खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होने फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger** में विकय हेतु रखे हुए थे **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger** मिलावट का अंदेशा होने पर **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger** 02 किलोग्राम वजनी खरीदें उसकी कीमत 400/– रू0 विकेता श्री सुगल लाल को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता मुकेश कुमार मंगल के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्यामलाल के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियॉं एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मुकेश कुमार मंगल ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5 ए की एक प्रति विकेता श्री मुकेश कुमार मंगल को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं0 5 ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदे गये 2 किलोग्राम **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger** को विकेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 40–40 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बौतलों के ढक्कन लगाकर एकदम ऐयरटाईट बंद किये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2650 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लेपट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–2650 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी जिससे नमूना सील किया।एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना ... प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर ... की।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:34 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के क्रमांक/एमएसएसए/2023/680 दिनांक 26.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/575/एक्ट/2023/638 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger, Substandard as the extracted fat dose not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation -2011 , The Sample is also Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006** होना पाया गया है।

अभियुक्त द्वारा **Barfi Made form Mawa and Suger, Substandard as the extracted fat dose not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation -2011 , The Sample is also Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर आवेदक की बहस सुनी गई।

आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा **Barfi Made form Mawa and Suger, Substandard as the extracted fat dose not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation -2011 , The Sample is also Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/575/एक्ट/2023/638 दिनांक 10.03.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mawa Barfi Made form Mawa and Suger, Substandard as the extracted fat dose not conform to the standards of milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and food additives) Regulation -2011 , The Sample is also Food Cantaining Extraneous Matter under Section 3(1)(i) Food Safety and Standard Act 2006** होना पाया गया है। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं था तो रैफरेल प्रयोगशाला में जांच हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 54 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 2,00,000 (दो लाख) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तागण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक...25.07.2025 . को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:50:34 IST
Reason: SelfAttested

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी